समाहरणालय, सुपौल

(जिला विधि शाखा)

सूचना

सुपौल जिला से संबंधित विभिन्न न्यायिक वादों में जिलाधिकारी/सरकार के तरफ से तथ्य विवरणी तैयार करने के निमित सेवानिवृत पदाधिकारी/कर्मचारी एवं विद्वान अधिवक्तागण का पैनल वित्त विभाग के संकल्प संख्या–487 दिनांक 15.01.2014 के आलोक में गठन किया जाना है।

तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु वित्त विभाग के उपर्युक्त संकल्प के आलोक में निर्धारित दर पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा, जिसके अनुसार प्रत्येक तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु 1200 (एक हजार दो सौ) रू0 तथा प्रारूप की अंग्रेजी प्रति टंकित करने हेतु अधिकतम 300 (तीन सौ) रू0 देय होगा। चयनित सेवानिवृत पदाधिकारी/कर्मचारी एवं विद्वान अधिवक्तागण को संबंधित विभाग/कार्यालय में बैठकर संबंधित पदाधिकारियों से आवश्यक विमर्शोपरान्त तथ्य विवरणी तैयार करनी होगी।

उक्त के आलोक में इच्छुक सभी सेवानिवृत पदाधिकारी/कर्मचारी एवं विद्वान अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि पैनल के गठन हेतु अपना–अपना आवेदन/बायोडाटा **दिनांक 12.10.2019 के 05.00 बजे अपराहन** तक सचिव, जिला विधिज्ञ संघ, सुपौल/वीरपुर/निर्मली/ त्रिवेणीगंज के माध्यम से समर्पित करेंगें। सचिव, जिला विधिज्ञ संघ दाखिल किये गये सभी आवेदन पत्रों को संकलित कर जिला विधि शाखा, सुपौल में अग्रेतर कार्रवाई हेतु **दिनांक 14.10.2019 तक** भेजना सुनिश्चित करेंगें।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ह0/-

समाहर्ता,
सुपौल।

ज्ञापांक 3040-2/विधि दिनांक 28/09/2019

प्रतिलिपिः– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, सुपौल/वीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से उक्त विज्ञापन संबंधित विधिज्ञ संघ के सचिव/अध्यक्ष को उपलब्ध कराते हुए इसका प्रचार–प्रसार करवाना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः– सचिव, जिला विधिज्ञ संघ, सुपौल/वीरपुर/निर्मली/त्रिवेणीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि प्राप्त आवेदन पत्रों को संकलित कर ससमय जिला विधि शाखा, सुपौल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, (NIC) सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त सूचना का सर्वसाधारण की जानकारी हेतु जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगें।

28/9/19

समाहर्ता,
सुपौल।